कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद
अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या–09/सिंकाम/2016–17

महामहिम राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्यो हेतु मोहर बन्द निविदायें सिंचाई विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से **दिनांक 10.01.2017** को सांय **3:00** बजें तक आमंत्रित की जाती है। जो कि उसी दिन **दिनांक 10.01.2017** को सार्वजनिक रूप से **अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद** के कक्ष में मुख्य अभियन्ता(पूर्वी गंगा), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, मुरादाबाद द्वारा निर्धारित समिति द्वारा **सांय 3:30 बजे** खोली जायेगी। शासनादेश संख्या–566/07– 27/सिं–3–08 टी/84, दिनांक 22.02.2007 के अनुसार पंजीकृत ठेकेदार अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा क्रय करते समय मूल पंजीकरण, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र (आई0डी0टी0–1), हैसियत प्रमाण–पत्र (आई0डी0टी0–2) की मूल प्रतियां प्रस्तुत की जायेगी तथा उनकी सत्यापित छायाप्रतियां भी ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जमा की जायेगी। अधिकृत प्रतिनिधि, ठेकेदार द्वारा प्रदत्त अधिकार पत्र, जिसमें प्रतिनिधि के हस्ताक्षर प्रमाणित किये हो द्वारा भी उक्त प्रपत्र जमा करने के पश्चात निर्धारित मूल्य देकर निविदा प्रपत्र प्राप्त किये जा सकते हैं।

सिंचाई विभाग में ठेकेदारी का कार्य करने हेतु इच्छुक व्यक्ति/संस्था द्वारा आई0डी0टी0–3 प्रपत्र पर स्वघोषणा शपथपत्र रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर, निविदा के साथ दिया जायेगा। स्वघोषणा शपथपत्र निविदा का अनिवार्य अंग होगा, बिना इसके कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

निविदा प्रपत्र का विक्रय निम्नलिखित कार्यालयों/बैंक से **दिनांक 07.01.2017** से **09.01.2017** तक किसी भी कार्य दिवस में **प्रातः 11:00 बजे से सांय 4:00 बजे तक** किया जायेगा :–

1. सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद।
2. सिंचाई खण्ड, मुरादाबाद।
3. अफजलगढ़ सिंचाई खण्ड, धामपुर
4. पंजाब नेशनल बैंक, सिविल लाईन्स, मुरादाबाद

निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा निर्धारित मूल्य (डाक व्यय के अतिरिक्त) भेजकर दिनांक 09**.01.2017** तक ही प्राप्त कर सकते है व निर्धारित तिथि तक जमा की जा सकती हैं। निर्धारित **तिथि 10.01.2017** को **सांय 3:00 बजे** के पश्चात् प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

निविदा के साथ निर्धारित धरोहर राशि राष्ट्रीय बचत पत्र/एफ0डी0आर0 के रूप में लाट संख्या–1 के कार्य हेतु अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, मुरादाबाद एवं लाट संख्या–2 व 3 के कार्य हेतु अफजलगढ़ सिंचाई खण्ड, धामपुर के पदनाम से बन्धक हो, मान्य होगी। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी तथा जमानत की शेष 8 प्रतिशत अवशेष सिक्योरिटी भी जमा करनी होगी। निविदा को निरस्त करने का अधिकार अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद को होगा।

क्र0 सं0	लॉट संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रू0)	धरोहर/जमानत धनराशि (लाख रू0)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0)	कार्यावधि	पंजीकरण की श्रेणी
1		2	3	4	6	5	7
1.	1	जनपद बिजनौर में रामगंगा नदी के दांये किनारे पर शेरपुर रैनी बन्ध के किमी० 0.640 से किमी० 1.000 तक पुर्नस्थापना एवं विस्तार का कार्य।	63.48	1.27	300.00 +वैट	2 माह	बी एवं बी से उच्च
2.	2	जनपद बिजनौर में गंगा नदी के बांये किनारे पर स्थित ग्राम फतेहपुर सभाचन्द एवं सैफपुर खादर की बाढ़ से सुरक्षा हेतु बोल्डर स्टड नं० 04 का निर्माण कार्य।	67.00	1.34	300.00 +वैट	2 माह	बी एव बी से उच्च
3.	3	जनपद बिजनौर में रामगंगा फीका दोआब नहर के किमी० 7.800 पर स्थित पूर्णत क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नये पुल के निर्माण का कार्य।	79.00	1.58	300.00 +वैट	2 माह	बी एवं बी से उच्च

नोट :–

1. यह निविदा सूचना वेबसाइट (http://upgov.up.nic.in/infotech) तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट www.idup.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र सिंचाई विभाग की वेबसाइट www.idup.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, मुरादाबाद/अफजलगढ़ सिंचाई खण्ड, धामपुर के नाम राष्ट्रीय बैक से निर्गत ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ (आई0डी0टी0–1), (आई0डी0टी0–2), (आई0डी0टी0–3) व अन्य प्रपत्र अभिलेखों के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। वेबसाइट से ड्राइंग उपलब्ध न हो सकने की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, मुरादाबाद/अफजलगढ़ सिंचाई खण्ड, धामपुर के कार्यालय से ड्राइंग आदि प्राप्त कर सकेगें। वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कियें गये निविदा प्रपत्र में यदि कोई भिन्नता हो तो सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद एवं अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, मुरादाबाद/अफजलगढ़ सिंचाई खण्ड, धामपुर के कार्यालयों में उपलब्ध निविदा प्रपत्र ही मान्य होगें। कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
2. एक निविदादाता केवल एक ही निविदा खरीद व डाल सकेगा।
3. सशर्त निविदायें मान्य नहीं होगी।
4. विगत तीन वित्तीय वर्षो में से किसी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम रु० 25.00 लाख की लागत के कार्य सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने का अनुभव प्रमाण–पत्र मूल रूप में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
5. निविदा के साथ रूपये 100.00 के नॉन–जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर रूपये 1.00 का रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षर सहित निविदा की वैधता तीन माह तक बनाये रखने की घोषणा करनी होगी।
6. कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो, वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
7. कार्य की प्रगति निर्धारित अवधि के अनुपातिक न होने की स्थिति में बिना किसी नोटिस/सूचना के अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है जिसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
8. आयकर, व्यापार कर, लेबर सैस एवं रॉयल्टी की कटौती नियमानुसार बीजक से की जायेगी।
9. राज्य बार कौसिंल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकेगें। अनुबन्ध/पट्टा गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है तो समाधान एवं संतुष्टि की दशा में ऐसे अनुबन्ध/पट्टे को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

क्रमशः पेज 2 पर............

10. यदि कोई भी निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है, तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम बोली की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।
11. यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को उसे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गई हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो, तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
12. निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश संख्या–622/23–12–2012–2 आडिट/08 टीसी0–2, दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत बिलो तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलो पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर सिक्योरिटी/परफॉरमेन्स गारन्टी ली जायेगी। अतिरिक्त धरोहर जमा कराने के उपरान्त ही अनुबन्ध गठित किया जायेगा। निविदादाता द्वारा धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
13. निविदा प्रपत्र रजिस्टर्ड पोस्ट सें जमा करने के इच्छुक पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा निविदा प्रपत्र का मूल्य भेजकर प्राप्त किया जा सकता हैं तथा प्रत्येक प्रकार से पूर्ण व सील्ड निविदा को इसी प्रकार रजिस्टर्ड डाक /खण्डीय लेखाकार/कैशियर को उनके हस्ताक्षर प्राप्त कराके (निविदा प्राप्त होने के प्रमाणक में) प्राप्त करायी जायेगी, जो प्राप्त निविदाओं को तत्काल एक रजिस्टर में पंजीकृत करेगें, जिसमें निविदा प्राप्ति का समय व दिनॉक आदि अंकित करके सम्बन्धित खण्डीय/मण्डलीय अधिकारी को समय से सूचित करेगे ताकि अन्य निविदाओं के साथ इस प्रकार प्राप्त निविदाओं को भी निविदा खुलने से पूर्व निविदा बाक्स में डाला जा सकें। प्रतिबन्ध यह रहेगा कि रजिस्टर्ड डाक द्वारा कार्यालय को प्रेषित निविदायें, निविदा प्राप्त करने की निर्धारित अन्तिम तिथि से एक कार्य दिवस पूर्व तक ही प्राप्त की जायेगी। रजिस्टर्ड डाक सेवा के विलम्ब के कारण यदि कोई निविदा विलम्ब से प्राप्त होती है तो उसका उत्तरदायित्व विभाग का नहीं होगा।
14. चरित्र प्रमाण–पत्र, हैसियत प्रमाण–पत्र व स्वघोषणा प्रमाण–पत्र के फर्जी या गलत पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी तथा सम्बन्धित ठेकेदार का नाम इस कारण तत्काल संविदा की काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
15. निविदा बैंक से क्रय करने पर बैंक द्वारा निर्धारित विक्रय चार्ज प्रति निविदा पर अलग से देय होगा।
16. विशिष्ट परिस्थितियों में निविदा जमा/खोलने की तिथि/स्थान में यदि कोई परिवर्तन होता हैं, तो इसकी सूचना, निविदा जमा होने से पूर्व कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद के सूचना पट पर प्रदर्शित कर दी जायेगी।
17. प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों में पहले यह परीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता ने (आई0डी0टी0–1), (आई0डी0टी0–2), (आई0डी0टी0–3) तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि ठीक–ठीक उपलब्ध करायी है या नहीं इनमे किसी प्रकार की कमी या असन्तोषजनक होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा दी गयी दरें तुलनात्मक विवरण में अंकित नहीं की जायेगी।
18. कार्य स्थल की स्थिति के अनुसार कार्य की मात्रायें बढ़ायी एवं घटायी जा सकती है, जिसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
19. उपरोक्त निविदा धनावंटन प्राप्त होने की प्रत्याशा में आमंत्रित की जा रही है। विभिन्न कार्य हेतु अनुंबन्ध गठन की प्रक्रिया प्राप्त धनावंटन के अनुरूप की जायेगी, अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
20. उपरोक्त कार्य विषम परिस्थिति में किये जाने है। निविदा क्रय करने एवं डालनें से पूर्व कार्यस्थल को भली भांति देख लें। कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाना आवश्यक है।
21. ठेकेदार/फर्म के नाम अनुबन्ध होने की स्थिति में श्रम विभाग में श्रमिकों का पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।
22. कार्य सम्पादित करने के दौरान कार्य करने वाले श्रमिकों की सूची पूर्ण विवरण सहित अद्यतन रखना होगा तथा इनका पंजीकरण संबंधित ठेकेदार/फर्म द्वारा श्रम विभाग से कराना आवश्यक होगा।

अधीक्षण अभियन्ता
सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद